यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
ठासीन अधिकारीः—राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
करण संख्याः— 113/2023
ादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88/53 आरटीए

रमेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजयपाल सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।
2. राजविन्द्र सिह पुत्र श्री जगर सिह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।

—वादीगण

बनाम

1. अजयपाल सिह पुत्र जगर सिह जाति जटसिख निवसी नाथवाना तहसील संगरिया।
2. सुखजीत कौर पत्नी अजयपाल सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
4. सुमन पत्नी रघुवीर जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान पीलीबंगा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री बलवन्त सिह झोरड़ अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री संजय धारणियां अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 1,2,4

निर्णय दिनांक :— 22.02.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार कि चक 1 डीएलपी के खाता संख्या 88/3 में वादी संख्या 1 के नाम 1.518 है. वादी संख्या 2 के नाम से 1.865 है. कृशि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिससे से वादी संख्या 2 ने 0.253 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 सुखजीत कौर को विक्रय कर दी है। चक 6 एमजेडी के खाता संख्या 3/2 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 0.3795 है. कृशि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 6 एमजेडी के खाता संख्या 3/2 में वादी संख्या का 0. 3795 है. हिस्सा बढाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे व चक 1 डीएलपी के खाता संख्या 88/3 में वादी संख्या 2 का हिस्सा 0.853 है. कम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का 0.602 है. हिस्सा बढाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 0.253 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित की जावें। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि वादी संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में है उक्त कृषि भूमि के कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने उपरोक्त खाता की कृषि भूमि का घरू विभाजन कर लिया है। घरू विभाजन के अनुसार ही वादीगण खाता विभाजन करवाने के अधिकारी व दावेदार है। वादी को घरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.19 13:59:48 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 1 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 1 डीएलपी खाता संख्या 88/3		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
160/189	16	6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. गै.मु. खाला 7,8,9/0.253 है. प्र. 15/1/0.228 है. 15/2/0.025 है. गैर.मु. खाला
161/189	17	11/0.253 है.

वादी संख्या 2 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 1 डीएलपी खाता संख्या 88/3		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

...0/189	16	14/0.253 है.
...61/188	4	21/0.253 है.
...61/189	17	1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 10/0.253 है.

चक 6 एमजेडी खाता संख्या 3/2

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
160/188	69	23,24,25/0.253 है.प्र.

वादीगण मौका पर वाद पत्र की चरण संख्या 5 के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत किसी तरह का कोई विवाद नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रकबा का कब्जा अनुसार विभाजन न होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा असर पडता है सींव बट को लेकर विवाद बना रहता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादीगण को दावा की चरण संख्या 4 के अनुसार कृषि भूमि का विभाजन होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गये।यही वाद कारण है।

अत वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि चक 6 एमजेडी के खाता संख्या 3/2 में वादी संख्या 2 का 0.3795 है. हिस्सा बढाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजंन किया जावे व चक 1 डीएलपी के खाता संख्या 88/3 में वादी संख्या 2 का हिस्सा 0.853 कम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का 0.602 है. हिस्सा बढाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 0.253 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,4 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लम पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने काउन्टर क्लेम के साथ बैयनामा की फोटो प्रति पेश की गई है। जिसका वादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 2 राजविन्द्र सिह ने अपना शपथ पत्र अ. आ. 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर निम्नानुसार प्रदर्श करवाये :-

1. चक 6 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 3/2 [illegible] पाल सिह वगैरा प्रदर्श–1
2. चक 1 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 88/3 [illegible] सिह वगैरा प्रदर्श–2
3. चक 1 डीएलपी राजविन्द्र सिह के बैयनामा दिनांक 06.09.2018 की फोटो प्रति प्रदर्श–3

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई व बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4 सह–काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4 घरू बंटवारा में अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा कर वाद पत्र की चरण संख्या 8 क, ख अनुसार कृशि भूमि प्राप्त कर रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.19 13:59:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर ए...
उपखण्ड अधिकारी

द पत्र का कोई विरोध नही है। अतः वादीगण का वाद पत्र मुताबिक अनुतोश डिक्री किया र पक्षकारो का राजस्व रिकार्ड में खाता अलग–कायम कर रकमराज अलग कायम करने का श देवे। प्रतिवादी संख्या 1,2,4 के अधिवक्ता ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार वाद डिक्री करने पर सहमति दौराने बहस दी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 6 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 3/2 खाता अजयपाल सिह वगैरा एवं चक 1 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 88/3 खाता अजयपाल सिह वगैरा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादी संख्या 2 बैयनामा दिनांक 06.09.2018 व प्रतिवादी संख्या 4 बैयनामा दिनांक 04.05.2023 तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगणों ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही है। मुताबिक वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4 खाता विभाजन के अधिकारी है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी संख्या 1,2,4 के काउन्टर क्लेम का वादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया इसलिए काउन्टर क्लेम एव वाद वादीगण मुताबिक जवाबदावा व साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–

वादी संख्या 1 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 1 डीएलपी खाता संख्या 88/3		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
160/189	16	6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. गै.मु. खाला 7,8,9/0.253 है. प्र. 15/1/0.228 है. 15/2/0.025 है. गैर.मु. खाला
161/189	17	11/0.253 है.

वादी संख्या 2 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 1 डीएलपी खाता संख्या 88/3		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
160/189	16	[illegible]/0.253 है.
161/189	17	1/1/0.228 है. 1/2/[illegible] गै.मु. खाला, 10/0.253 है.

प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्सा की कृषि [illegible] चक 1 डीएल[illegible] खाता संख्या 88/3		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
160/189	16	2/1/0.202 है. 2/2/0.[illegible] है. गै.मु. खाला, 2/3/0.026 है. गै.मु.रास्ता 3/1/0.202 है. 3/2/0.025 है. गै.मु.खाला 3/3/0.026 है. गै.मु. रास्ता 4/1/0.202 है. 4/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 4/3/0.026 है. गै.मु.रास्ता, 10/1/0.190 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.19 13:59:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दी संख्या 2 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 1 डीएलपी खाता संख्या 88/3		
त्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
160/189	16	5/1/0.177 है. 5/2/0.051 है. गै.मु. खाला 5/3/0.025 है. गै.मुम.रास्ता

तिवादी संख्या 4 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 1 डीएलपी खाता संख्या 88/3		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
161/188	4	21/0.253 है.
चक 6 एमजेडी खाता संख्या 3/2		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
160/188	69	23,24,25/0.253 है.प्र.

उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निज.....X.....मुब्लिक.....X.....बाबत.....X.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....X.....को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.02.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नोट:- क्रियात्मक आदेश
वादी स. 2 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 1 डीएलपी खाता स. 88/3

प. नं.	मु. नं.	किला नं.
160/189	16	14/0.253 है.
161/189	17	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है. गै मु. खाला 10/0.253 है.

डिक्री मे कलमजद किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.19 13:59:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 / 53 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 113 / 2023

1. रमेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजयपाल सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।
2. राजविन्द्र सिह पुत्र श्री जगर सिह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।

–वादीगण

बनाम

1. अजयपाल सिह पुत्र जगर सिह जाति जटसिख निवसी नाथवाना तहसील संगरिया।
2. सुखजीत कौर पत्नी अजयपाल सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
4. सुमन पत्नी रघुवीर जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान पीलीबंगा

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री बलवन्त सिह झोरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणियां वकील प्रतिवादी संख्या 1,2,4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:–

वादी संख्या 1 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 1 डीएलपी खाता संख्या 88 / 3		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
160 / 189	16	6 / 1 / 0.228 है. 6 / 2 / 0.025 है. गै.मु. खाला 7,8,9 / 0.253 है. प्र. 15 / 1 / 0.228 है. 15 / 2 / 0.025 है. गैर.मु. खाला
161 / 189	17	11 / 0.253 है.

वादी संख्या 2 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 1 डीएलपी खाता संख्या 88 / 3		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
160 / 189	16	14 / 0.253 है.
161 / 189	17	1 / 1 / 0.228 है. 1 / 2 / 0.025 है. गै.मु. खाला, 10 / 0.253 है.

प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 1 डीएलपी खाता संख्या 88 / 3		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
160 / 189	16	2 / 1 / 0.202 है. 2 / 2 / 0.025 है. गै.मु. खाला, 2 / 3 / 0.026 है. गै.मु.रास्ता 3 / 1 / 0.202 है. 3 / 2 / 0.025 है. गै.मु.खाला 3 / 3 / 0.026 है. गै.मु. रास्ता 4 / 1 / 0.202 है. 4 / 2 / 0.025 है. गै.मु. खाला, 4 / 3 / 0.026 है. गै.मु.रास्ता, 10 / 1 / 0.190 है.

प्रतिवादी संख्या 2 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 1 डीएलपी खाता संख्या 88 / 3		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
160 / 189	16	5 / 1 / 0.177 है. 5 / 2 / 0.051 है. गै.मु. खाला 5 / 3 / 0.025 है. गै.मुम.रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.19 13:59:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 4 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 1 डीएलपी खाता संख्या 88 / 3		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
161 / 188	4	21 / 0.253 है.
चक 6 एमजेडी खाता संख्या 3 / 2		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
160 / 188	69	23,24,25 / 0.253 है.प्र.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक....X....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.02.2024 को जारी किया गया।

नोट – क्रियात्मक आदेश
वादी सं. 2 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक। डी.एल.पी
2 खाता सं. 88/3

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
160/189	16	14/0.253 है
161/189	17	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है. डी.कु खाता 10/0.253 है. डिक्री मे कलमजद किया जाता है।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.19 13:59:48 IST
Reason: SelfAttested